भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1332
(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 10 फरवरी, 2020/21 माघ, 1941 (शक) को दिया जाना है)

जीएसटी संग्रहण में गिरावट

1332. श्री उत्तम कुमार रेड्डी

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रहण सितंबर 2019 में 19 महीने के सबसे निचले स्तर पर आकर 91,916 करोड़ रूपये हो गया;
(ख) यदि हॉ, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मासिक जीएसटी संग्रहण और अनुमानित कुल जीएसटी संग्रहण का ब्यौरा क्या है
(ग) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए मासिक जीएसटी संग्रहण का ब्यौरा क्या है;
(घ) जीएसटी संग्रहण में इस गिरावट के कारणों का ब्यौरा क्या है ; और
(ङ) सरकार द्वारा इसकी मांग बढ़ाने और जीएसटी संग्रहण में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क),(ख) और (ग) : सितम्बर 2019 का कुल माल और सेवा कर (जीएसटी) संग्रहण फरवरी 2018 के बाद से न्यूनतम था जब संग्रहण 85962 करोड़ रूपये था । वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 (31 जनवरी 2020 तक) के लिए मासिक सकल जीएसटी संग्रहण (सीजीएसटी+एसजीएसटी +आईजीएसटी+जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर) निम्नानुसार है:-

(आंकडे करोड़ रू. में)

माह	**2018-19**	**2019-20**
अप्रैल	103459	113865
मई	94016	100289
जून	95610	99939
जुलाई	96483	102083
अगस्त	93960	98202
सितम्बर	94442	91916
अक्टूबर	100710	95379
नवम्बर	97637	103491
दिसम्बर	94726	103184
जनवरी	102503	110818
फरवरी	97247	
मार्च	106577	
कुल	**1177369**	**1019167**

वित्तीय वर्ष 2019-20 (दिसम्बर 2019 तक), में 4,44,409 करोड़ रु. के निवल वास्तविक संग्रहण (प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीआसी द्वारा दिखाए गए आंकड़ो के अनुसार) की तुलना में जीएसटी राजस्व संग्रहण (सीजीएसटी +आईजीएसटी + जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर) के लिए बजटीय अनुमान (बीई) 6,63,343 करोड़ रू. है।

(घ) किसी एक माह में जीएसटी संग्रहण उस माह में आपूर्ति किए गए माल अथवा सेवाओं में अथवा दोनों के कुल कर योग्य मूल्य पर निर्भर करता है। फिर भी, यह देखा जा रहा है कि पिछले तीन माह के लिए जीएसटी संग्रहण 1 लाख रू. से ऊपर रहा है तथा जनवरी 2020 में संग्रहण जीएसटी के लागू होने के बाद से दूसरी बार सबसे अधिक है।

(ड.) इस वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए उपाय हैं- कर अनुपालन में सुधार के लिए जीएसटी की दरों को युक्तिसंगत बनाना, करों का अनिवार्य रूप से ई फाईलिंग एवं ई भुगतान, विलंबित भुगतान के लिए जुर्माना, अनुपालन सत्यापन हेतु अन्य पक्ष श्रोतों का व्यापक प्रयोग जैसे राज्य मूल्य वर्धित कर विभाग, आयकर आदि, कर विवरणी का नियमित रुप से प्रर्वतन एवं अनुपालन सत्यापन, करदाता शिक्षण एवं मीडिया- अभियान आदि।

*****